



कजा विभाग  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
(एम0एस0 रजम)  
11/01/18

3. विभागीय दिशा-निर्देश दिनांक 05.05.2017 की अन्य शर्त यथावत रहेगी। सौर योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के समाधान हेतु कजा विभाग आवश्यकता अनुसार समय-समय पर विभागीय दिशा-निर्देशों में संशोधन जारी कर सकेगा।

Mr. P. K. Lincalot  
K  
(Rec 12)

2(i) सौर योजना के अंतर्गत नलकूपों पर 3 एच.पी. तक तथा कूपों पर 5 एच.पी. तक के सोलर पंप की स्थापना हेतु सफल नलकूपों/कूपों को मध्य 300 मीटर की दूरी की अनिवार्यता नहीं रहेगी।  
परंतु छत्तीसगढ़ प्रखण्ड परिदृश्य अधिनियम, 1986 (क्रमांक 3 सन 1987) की संगत धाराओं के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा घोषित जल अभावग्रस्त क्षेत्रों में सौर योजना के तहत सोलर पंप की स्थापना के लिए सफल नलकूपों के मध्य 300 मीटर की दूरी की अनिवार्यता उक्त घोषित अवधि में प्रभावशील रहेगी।

2.2 वर्तमान में प्रभावशील विभागीय दिशा-निर्देश की कठिनाई-2(i) को विलोपित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:-

2.1 सौर योजना के अंतर्गत वर्तमान में केवल विद्युत पहुंच बिहीन क्षेत्रों के कूपों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः उक्त योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई सुविधा की आवश्यकता को पूर्ण के लिए सौर योजना के तहत सिंचाई हेतु सोलर पंप की स्थापना सम्पूर्ण राज्य में की जाए।

2. उपरोक्तानुसार जारी दिशा-निर्देशों की कठिनाई-10 में प्रावधानित उपबंधों के अंशिन योजना के क्रियान्वयन अंतर्गत आ रही कठिनाईयों को दूर करने तथा उक्त योजना को राज्य के सभी क्षेत्रों में विस्तारित करने के प्रयोजनार्थ राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन जारी करती है:-

क्रमांक: 87/एफ 21/03/2016/13/2: राज्य शासन के समस्त/व्यक्त आदेश क्रमांक 1258/एफ 21/03/2016/13/2 दिनांक 05.05.2017 द्वारा राज्य के विद्युत पहुंचबिहीन क्षेत्रों के कूपों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजन से "सौर योजना योजना" के तहत वर्ष 2017-18 में 20 हजार सोलर पंप के स्थापना हेतु विभागीय दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।


17 JAN 2018

नाया रायपुर, दिनांक

छत्तीसगढ़ शासन  
कजा विभाग, महानदी भवन  
मंजालय, नाया रायपुर

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं भारसाधक मंत्री (ऊर्जा विभाग) मंत्रालय, नया रायपुर।
2. स्टाफ आफिसर, सलाहकार मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष, छ०रा० विद्युत कंपनीज मर्या० रायपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
4. अपर मुख्य सचिव, छ०ग० शासन, कृषि विभाग एवं कृषि उत्पादन आयुक्त मंत्रालय, नया रायपुर।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
7. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
8. प्रबंध संचालक, छ०रा० विद्युत वितरण कंपनी, डंगनिया, रायपुर।
9. मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा), व्ही.आई.पी. (एयरपोर्ट) रोड, ऊर्जा पार्क के पास, ग्राम-फुण्डहर, रायपुर।
10. डायरेक्टर, (ओ०एण्ड एम०), छ०रा० विद्युत वितरण कंपनी, डंगनिया, रायपुर।
11. संचालक, इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर।
12. कार्यपालक निदेशक, (संचा./संधा.), छ०रा० विद्युत वितरण कंपनी, डंगनिया, रायपुर।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
ऊर्जा विभाग